संख्याः 907 /उन्तीस(2)/17–2(95 पे0)/2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 27 जुलाई, 2017

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर(ग्रामीण) के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु एकमुश्त अवशेष धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा राज्य सैक्टर(ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के कार्य सम्पादित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 150.00लाख(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i)– स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii)– स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii)– उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन सर्वप्रथम उन योजनाओं हेतु किया जायेगा, जिनमें कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 80 से 90% से ऊपर हो एवं ऐसे कार्यों पर जो पूर्ण होने की स्थिति में है को धनावंटन में वरियता दी जाय।

(iv)– योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(v)– उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii)– उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(viii)– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय– 01–जलपूर्ति –102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल सेक्टर–00 –35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 1707132452 दिनांक 26 जुलाई,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 30 जून,2017 में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 967 (1)/उन्तीस(2)/17–2(95 पे0)/2016,तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. बजट अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।